संख्या-25/2019/1086/77-3-2019-04बजट/19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमेठी एवं गाजीपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः06.06.2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एकसप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1194.33 करोड के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में रू0 10.00 करोड जिलाधिकारी अमेठी एवं रू0 25.00 करोड जिलाधिकारी, गाजीपुर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-1125/यूपीडा/599-2, दिनांक28.04.2019 एवं पत्रांक-1195/यूपीडा/599-2 दिनांक 30.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1194.33 करोड का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0-18/2019/748/77-3-19-04बजट/19 दिनांक 05.04.2019 द्वारा मूल सिविल कार्यों हेतु रू0 991.51 करोड, शासनादेश सं0-21/2019/879/77-3-2019-04बजट/2019, दिनांक 02.05.2019 द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 10.00 करोड एवं शासनादेश सं0-24/2019/1004/77-3-2019-04बजट/2019, दिनांक 28.05.2019 द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को रू0 10.00 करोड एवं जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 30.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2. जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र संख्या-972/एल0ए0सी0/2019 दिनांक 29.03.2019 तथा जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्र संख्या-2071/भू-अर्जन/2019 दिनांक 30.05.2019 में किये गये अनुरोध एवं यूपीडा के उक्त पत्र दिनांक 28.05.2019 तथा 30.05.2019 में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 152.82 करोड में से जिलाधिकारी, अमेठी को भूमि क्रय/ यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में धनराशि रू0 10.00 करोड (रू0 दस करोड मात्र) एवं जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में धनराशि रू0 25.00 करोड (रू0 पच्चीस करोड मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि रू0 152.82 करोड में से जिलाधिकारी, अमेठी को भूमि क्रय/ यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में धनराशि रू0 10.00 करोड (रू0 दस करोड मात्र) तथा जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टंग मद में धनराशि रू0 25.00 करोड (रू0 पच्चीस करोड मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 35.00 करोड (रू0 पैंतीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, अमेठी एवं गाजीपुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, अमेठी एवं गाजीपुर सेउपयोगिता प्रमाण प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019,दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

5. उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपये दसकरोड़मात्र) एवं रू0 25.00 करोड (रू0 पच्चीस करोड मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20कीअनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवेपरियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य"के नामें डाला जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव

संख्या-25/2019/1086(1)/77-3-2019,तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा,पर्यटन भवन,गोमतीनगर,लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अमेठी एवं गाजीपुर।
5. निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।